संख्या-22 /2021/बी-2-175/दस-2021-1/2020

प्रेषक,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 22 जुलाई, 2021

विषय- पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत नागर निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2021- 22 के आय-व्ययक में व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–61 में नगरीय निकायों हेतु व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रूपये 9900.00 करोड़ में से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-16/2021/बी-2-127/दस-2021-1/2020 दिनांक 27.04.2021 व शासनादेश संख्या-19/2021/बी-2-134/दस-2021-1/2020 दिनांक 27.05.2021 तथा शासनादेश संख्या-21/2021/बी-2-145/दस-2021-1/2020 दिनांक 21.06.2021 द्वारा अब तक कुल धनराशि रूपये 2475.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

2- अब माह जुलाई हेतु नागर स्थानीय निकायों के लिये सामान्य समनुदेशन हेतु रूपये 825.00 करोड़ (आठ सौ पच्चीस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है जिसे मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष मे स्वीकृत कुल धनराशि रूपये 3300.00 करोड़ (रूपये तीन हजार तीन सौ करोड़ मात्र) हो जायेगी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि अब स्वीकृत की जा रही रूपये 825.00 करोड की धनराशि नगरीय निकायों को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि धनराशि का नगर निगमों, नगर पालिकाओं/नगर परिषदों/नगर पंचायतों के मध्य आवंटन पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार किया जायेगा।

(2) आवंटित धनराशि कोषागार से आहरित कर निकायों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) यदि किसी निकाय की समायोजन/कटौती की धनराशि शेष है, तो संबंधित निकाय को मिलने वाली उनके हिस्से की धनराशि में से समायोजन/कटौती किये जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि संबंधित निकाय को आवंटित किया जाय।

(4) निकायों द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, वाउचर संख्या व दिनांक सहित, निदेशक, स्थानीय निकाय उनसे प्राप्त करेगें तथा संहत सूचना शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(5) नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. द्वारा, उपरोक्तानुसार स्वीकृत व आवंटित की गयी धनराशि के उपयोग की समीक्षा की जायेगी ।

4- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगाः-

क्र0 सं0	निकाय का नाम	लेखाशीर्ष	धनराशि (करोड़ में)
1	नगर निगमों हेतु	‘‘-3604स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं	371.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- -191नगर निगमों को सहायता- -03राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- -0301सामान्य समनुदेशन- -28समनुदेशन''	
2	नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों हेतु	''-3604स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- -192नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता- -03राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- -0301सामान्य समनुदेशन- -28समनुदेशन''	288.75
3	नगर पंचायतों हेतु	''-3604स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- -193नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता- -03राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- -0301सामान्य समनुदेशन- -28समनुदेशन''	165.00
योग			825.00

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या-22/2021/बी-2-175/दस-2021-1/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
5- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
7- नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in